संख्या: 1/2019/जी-2-5/दस-2019-1(विविध)/दस-2014

प्रेषक

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 14 जनवरी, 2019

विषय: विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य एवं सलाहकार के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014,दिनांक :15 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/ परिषदों/आयोगों में नामित गैर सरकारी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्य आदि महानुभावों को सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक: 15 दिसम्बर 2014 में उल्लिखित लाभ नहीं दिये जा रहे हैं।

2- अतएव शासनादेश दिनांक: 15 दिसम्बर 2014 की प्रतिलिपि आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/ आयोगों/संस्थाओं में नामित गैर सरकारी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्य एवं सलाहकार आदि महानुभावों को नियमानुसार लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

संख्या: 1/2019/जी-2-5/दस-2019-1(विविध)/दस-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर व निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष।
(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

संख्या-4/जी-2- 144 /दस-2014-1(विविध)/दस-2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2014

विषयः- **विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्य एवं सलाहकार के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सलाहकार एवं सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले महानुभावों के वेतन/मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

मानदेय/भत्ते एवं विभिन्न सुविधायें	**संशोधित व्यवस्था**
1	**2**
नियत मानदेय	गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सलाहकार को रू0 40000/- प्रतिमाह नियत मानदेय अनुमन्य होगा जिस पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। गैर सरकारी उपाध्यक्ष को रू0 35000/- प्रतिमाह नियत मानदेय अनुमन्य होगा जिस पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। यह नियत मानदेय ऐसे गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार को भी अनुमन्य होगा जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त इस रूप में नियुक्त होंगे एवं इसका संबंध उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन से नहीं होगा।
आवासीय सुविधा	गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सलाहकार को रू0 10,000/- (रूपया दस हजार मात्र) प्रतिमाह आवासीय भत्ता अनुमन्य होगा।
वाहन	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार को एक वाहन की सुविधा अनुमन्य होगी।
यात्रा भत्ता/दैनिक	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु

भत्ता	बाहर से आने की दशा में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा जैसा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 एवं सुसंगत आदेशों में संबंधित संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर के सरकारी अधिकारियों के संबंध में विहित की गयी हों।
टेलीफोन की सुविधा	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25000/- वार्षिक। गैर सरकारी सदस्य को टेलीफोन सुविधा केवल आवास पर अधिकतम रू0 15000/- वार्षिक।
वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार को एक वैयक्तिक सहायक एवं दो अनुसेवक की सुविधा अनुमन्य होगी।
चिकित्सा सुविधा	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं सदस्यों को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत् समूह 'क' के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा ।

उपरोक्त सुविधा उन्हें अनुमन्य नहीं होंगी जिन्हें संबंधित विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सलाहकार या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के कारण शासन के किसी विशिष्ट आदेश से उस विभाग/निगम/उपक्रम/परिषद/आयोग/संस्था विशेष के लिए वेतन/मानदेय/भत्तें एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य की गयी हों ।

2- गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार एवं सदस्यों को उपरोक्त मानदेय/भत्ते एवं विभिन्न सुविधायें संबंधित विभाग/निगम/उपक्रम/परिषद/आयोग/संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी जहाँ वे नियुक्त किये जायेंगे।

3- उपरोक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-4/जी-2-144(1) /दस-2014-1(विविध)/दस-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टॉफ आफिसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

बी0 के0 सिंह

विशेष सचिव